कार्यालय नगर पालिका परिषद गौरा बरहज, जनपद–देवरिया।

पत्रांक सेवा/2017 न0पा0प0 (2017–18) दिनांक : 18.04.2017

निविदा सूचना

समस्त सेवा प्रदाताओं, समूहों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के समस्त अनुभागो (,प्रकाश अनुभाग, जलकल अनुभाग, कम्प्यूटर अनुभाग, सफाई विभाग व कार्यालय के आवश्यक कार्यों हेतु) वर्ष 2017–18 हेतु श्रमिकों की आपूर्ति के लिए प्रतिदिन, प्रतिश्रमिक के दर हेतु निविदा दिनांक 27.04.2017 को 2.00 बजें तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र पालिका में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष, सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में अपरान्ह् 3.00 बजें खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र की विक्री दिनांक 25.04.2017 को प्रातः 10 बजें से 12.00 बजें तक निर्धारित शुल्क जमा कर, अधिष्ठान पटल से प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ जमानत धनराशि मु0 5,00,000=00 रू0 (पाँच लाख मात्र)का एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0, अथवा फार्म–5 के माध्यम से नगद, जो अधिशासी अधिकारी के पद नाम बन्धक हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर, जमा किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। उक्त विज्ञापन को बेवसाइड WWW.deoria.nic.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:–

1– नगर पालिका परिषद गौरा बरहज के सेवा प्रदाता, को मात्र पारिश्रमिक धनराशि का भुगतान करेंगी।

2– श्रमिको के भविष्य निधि व अन्य देयों के भुगतान हेतु सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगें। कार्यादेश जारी होने के उपरान्त तीन दिवस के अन्दर श्रमिकों की आपूर्ति करनी होगी।

3– सेवा प्रदाता द्वारा आयकर, बिक्रीकर, पैनकार्ड एवं श्रम विभाग में पंजीयन से सम्बन्धित प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4– सेवा प्रदाता द्वारा समस्त श्रमिकों के भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कार्य निष्पादन के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी के कार्य प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान किया जायेगा। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक का संचालन नगर पालिका परिषद गौरा बरहज से किया जायेगा तथा आपूर्तित श्रमिक अपनी किसी भी समस्या को सेवा प्रदाता के ही सम्मुख रखेगें तथा समस्या का निस्तारण सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा न कि पालिका द्वारा।

5– आवश्यकतानुसार श्रमिकों की संख्या सक्षम अधिकारी की अनुमति से घट–बढ़ सकती है।

6– दर समान होने पर अनुभवी निविदादाता को वरियता प्रदान की जायेगी।

7– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसूची नियम 59 के अन्तर्गत कुशल व अकुशल श्रमिको के आधार पर निविदा डाले जाने है।

8– अवकाश के दिनों का वेतन दये नहीं होगा। विशेष परिस्थितियो में अवकाश के दिनो में समक्ष अधिकारी की अनुमति से कार्य लिये जाने पर ही अवकाश के दिनों का वेतन देय होगा। ठेका श्रमिक द्वारा हड़ताल, अभद्रता, कार्यालय के आदेश की अवहेलना आदि करने की दशा में तत्काल हटा दिये जायेगें। ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दी जायेगी।

9– शासनादेश सं0 173/ 9–1–13–30टी/13 नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी 2014 के अनुपालन में सेवा प्रदाता, एजेन्सी का दायित्व होगा कि श्रमिको का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर उनके वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान चेक के माध्यम से करेगें तथा सेवा प्रदाता, एजेन्सी अपने समस्त कर्मचारियों/श्रमिकों का परिचय पत्र भी अपने स्तर से जारी करेगें। विशेष परिस्थितियों मे ही नगद भुगतान किया जा सकता है।

10- संविदा श्रमिकों के अनुसार उक्त कार्य को समस्त कर्मचारियों की आपूर्ति आदि के नियमों का पालन किया जायेगा।

(मणिभूषण तिवारी)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

(अजीत जायसवाल)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

पत्रांक   /2017 न0पा0परि0 (2016–17) तद्दिनाकिंत।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यालय नगरपालिका परिषद गौरा बरहज के सूचना पटद पर चस्पा हेतु।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा/ स्वतन्त्र चेतना/ हमार/ प्राचीन प्रहरी/" को इस आशय से प्रेषित कि निविदा सूचना न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कर समाचार–पत्र की दो प्रतियों सहित बिल पालिका कर्यालय मे भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. उप जिलाधिकारी, बरहज।
5. जिलाधिकारी एन0आई0सी0 कार्यालय, देवरिया।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद गौरा बरहज
देवरिया